अध्याय–IV

अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय - IV
अनुपालन लेखापरीक्षा

नगर विकास एवं आवास विभाग

4.1 सम्पत्ति कर राजस्व की हानि

नगर निगमों द्वारा होल्डिंग्स के वार्षिक किराया मूल्य का प्रत्येक पाँच वर्ष में 15 प्रतिशत की दर से पुनरीक्षण किए जाने के संबंध में संहिता में निहित प्रावधानों का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण ₹ 52.03 करोड़ के सम्पत्ति राजस्व कर की हानि।

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 (2011 में संशोधित) की धारा 127 (13) *(i)* में प्रावधानित है कि नगरपालिका हर पाँच वर्ष में एक बार वार्षिक किराया मूल्य[48] का उर्ध्वगामी पुनरीक्षण करेगी। आगे, बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 127 (7)*(iii)* (2013 में संशोधित) एवं 127 (8) प्रावधानित करता है कि नगरपालिका द्वारा सम्पत्ति कर, वार्षिक किराया मूल्य के न्यूनतम 9 प्रतिशत एवं अधिकतम 15 प्रतिशत के भीतर ही लगाया जाएगा। विभिन्न वर्ग के होल्डिंग का प्रत्येक वर्ग फीट निर्मित क्षेत्रफल पर किराया मूल्य में प्रत्येक पाँच वर्ष में 15 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। आगे, नगरपालिका राज्य सरकार के पूर्व स्वीकृति के उपरांत पाँच वर्ष की अवधि में वार्षिक किराया मूल्य एवं दर में कभी भी वृद्धि कर सकती है। आगे, बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 138 (अ) प्रावधानित करता है कि राज्य सरकार, एक राज्य स्तरीय सम्पत्ति कर बोर्ड स्थापित करेगी जो राज्य के सभी नगरपालिकाओं को सम्पत्ति कर निर्धारण की स्वतंत्र एवं पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित कर संपत्ति कर निर्धारण, संग्रहण एवं वसूली की स्थिति को सुधारने में सहायता करेगी।

छः नगर निगमों[49] के अभिलेखों की जाँच (जून 2016–दिसम्बर 2017) के क्रम में पाया गया कि वार्षिक किराया मूल्य का पुनर्निधारण पिछले एक से 20 वर्षों में नहीं किया गया, जिसके फलस्वरुप सम्पत्ति कर के रुप में ₹ 52.03 करोड़ की कुल हानि हुई जैसा कि ***परिशिष्ट–4.1*** में वर्णित है और इसकी संक्षिप्त विवरणी नीचे **तालिका 4.1** में दिया गया है।

तालिका–4.1: छः नगर निगमों में होल्डिंग के वार्षिक किराया मूल्य की पुनरीक्षण की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	नगर निगम का नाम	होल्डिंग के वार्षिक किराया मूल्य का अंतिम पुनरीक्षण वर्ष	पुनरीक्षण कब किया जाना था	होल्डिंग के वार्षिक किराया पुनरीक्षण की तिथि	सम्पत्ति कर की हानि
1.	**बेगूसराय**	2010–11	2015–16	1 अप्रैल 2017	0.65
2.	**छपरा**	2001–02	2006–07	पुनरीक्षण नहीं किया गया	1.92
3.	**दरभंगा**	1997–98	2002–03	1 अप्रैल 2016	0.84
4.	**मुंगेर**	2011–12	2016–17	पुनरीक्षण नहीं किया गया	3.41
5.	**पटना**	1995–96	2000–01	पुनरीक्षण नहीं किया गया	45.07
6.	**पूर्णिया**	2006–07	2011–12	1 अप्रैल 2016	0.14
	कुल योग				**52.03**

*(**स्रोतः** सम्बन्धित नगरपालिकाओं द्वारा प्रस्तुत सूचना व अभिलेख)*

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर नगर आयुक्त, बेगूसराय एवं पूर्णिया (जुलाई–नवम्बर 2017) द्वारा बताया गया कि वार्षिक किराया मूल्य का पुनरीक्षण भौगोलिक सूचना तंत्र (जी.आई.एस.) आधारित होल्डिंग के सर्वेक्षण में देरी के कारण हुआ। नगर निगमों के

---

[48] *वार्षिक किराया मूल्य = कारपेट क्षेत्र × किराया मूल्य × अधिभोग × वर्णित गुणक*

[49] *बेगूसराय, छपरा, दरभंगा, मुंगेर, पटना एवं पूर्णिया*

जवाब मान्य नहीं थे क्योंकि जी.आई.एस. मैपिंग का प्रयोग नगर निगमों के अंतर्गत होल्डिंग की वास्तविक संख्या एवं होल्डिंग की स्थिति के आकलन के लिए की जा रही थी तथा वर्त्तमान होल्डिंग के वार्षिक किराया मूल्य का पुनरीक्षण संभव था। हाँलाकि, दोनों नगर निगमों ने होल्डिंग सर्वेक्षण अपूर्ण रहने के बावजूद वार्षिक किराया मूल्य का पुनरीक्षण (बेगूसराय 2017–18 में एवं पूर्णिया 2015–16 में) किया।

नगर आयुक्त, छपरा तथा नियंत्रक नगरपालिका, वित्त एवं लेखा, पटना ने जवाब दिया (दिसम्बर 2018–जनवरी 2019) कि विभाग ने (अक्टूबर 2013) पुराने दर से सम्पत्ति कर वसूली का निर्देश दिया था। हाँलाकि, दोनों नगर निगमों ने बताया (जनवरी 2021) कि सशक्त स्थायी समिति ने होल्डिंग के वार्षिक किराया मूल्य का पुनरीक्षण स्वीकृत कर दिया है तथा नगर निगम बोर्ड की स्वीकृति के उपरांत प्रस्तावित पुनरीक्षण विभाग को स्वीकृति हेतु भेज दिया जाएगा।

नगर आयुक्तों का जवाब मान्य नहीं था क्योंकि विभाग ने राज्यों के सभी नगर निकायों के नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश (दिसम्बर 2013 और जुलाई 2015) दिया था कि बिहार नगरपालिका अधिनियम के अनुसार सम्पत्ति कर का पुनरीक्षण कर तत्काल वार्षिक किराया मूल्य में न्यूनतम 15 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी किया जाय।

नगर आयुक्त, मुंगेर द्वारा बताया गया (जनवरी 2021) कि नगर निगम बोर्ड की स्वीकृति के उपरांत प्रस्तावित पुनरीक्षण प्रस्ताव स्वीकृति हेतु विभाग को (जनवरी 2021) भेजा गया। विभाग की स्वीकृति के बाद इसे लागू किया जाएगा। नगर आयुक्त, दरभंगा द्वारा बताया गया (जून 2017) कि नगर निगम बोर्ड ने जून 2014 में वार्षिक किराया मूल्य के पुनरीक्षण को स्वीकृति प्रदान की और विभाग को स्वीकृति हेतु (अगस्त 2014 और सितंबर 2015) भेजा गया परन्तु मई 2019 तक विभाग से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी, हाँलाकि वार्षिक किराया मूल्य का पुनरीक्षण 2016–17 से कर दिया गया।

विभाग द्वारा (मार्च 2020 में) बताया गया कि नगरपालिकाओं को होल्डिंग कर के पुनरीक्षण हेतु प्रस्ताव (अक्टूबर 2020) राज्यस्तरीय सम्पत्ति कर बोर्ड को भेजने का निर्देश दिया गया था। विभाग का जवाब मान्य नहीं था क्योंकि नगरपालिकाओं द्वारा सम्पत्ति कर के निर्धारण, संग्रह एवं वसूली में वृद्वि हेतु राज्य सम्पत्ति कर बोर्ड का गठन करने में विभाग विफल रहा।

अतः नगर निगमों द्वारा नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में विफलता और वार्षिक किराया मूल्य में प्रत्येक पाँच वर्ष पर न्यूनतम 15 प्रतिशत की वृद्धि के पुनरीक्षण करने संबंधित विभाग के निर्देशों के पालन करने में विफलता के फलस्वरुप संपत्ति कर की राशि ₹ 52.03 करोड़ का नुकसान हुआ।

4.2 वेबसाइट और सॉफ्ट्वेयर के विकास पर निष्क्रिय व्यय

जनता और नगर परिषद्, सीवान कार्यालय के उपयोग के लिए विकसित वेबसाइट और सॉफ्ट्वेयर पाँच वर्षों से अधिक समय तक अप्रयुक्त रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 50.66 लाख का अनुपयोगी व्यय हुआ।

बिहार नगरपालिका सशक्त स्थायी समिति कार्य संचालन नियम, 2010 के नियम 10 में कहा गया है कि नगरपालिका की कार्यकारी शक्ति सशक्त स्थायी समिति में निहित होगी और नगर निकाय द्वारा की जाने वाली और करायी जाने वाली सभी विकास गतिविधियों को अनुमोदन के लिए मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा जाएगा। इसके अलावा श.स्था.स. द्वारा पारित सभी मुद्दों को अगली बैठक में नगरपालिका के समक्ष रखा जाएगा।

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 131 (एच) में प्रावधान है कि सीमित निविदा प्रक्रिया की बजाय विज्ञापित निविदा प्रक्रिया के माध्यम से ₹ 25 लाख या उससे अधिक मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं का क्रय किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, बिहार नगरपालिका लेखा नियम, 2014 के नियम 69 (2)(डी) में प्रावधान है कि किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्राप्त अनुदान को किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

नगर परिषद् बोर्ड, सीवान ने अपनी आम बैठक (10 सितंबर 2012) में बिहार वित्तीय नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुसार सीमित निविदा आमंत्रित कर सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) शीर्ष के तहत उपलब्ध राशि का उपयोग करने का निर्णय लिया था।

नगर परिषद् के कार्यकारी पदाधिकारी श.स्था.स. के अनुमोदन के बिना, वेब अनुप्रयोगों के साथ गतिशील सामग्री प्रबंधन सर्वर (डी.सी.एम.एस.) वेबसाइट के विकास के लिए चार फर्मों से प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर.एफ.पी.) आमंत्रित किया (19 सितंबर 2012) और डी.सी.एम. एस. वेबसाइट के विकास के लिए एक फर्म को कार्य प्रदान किया गया[50] (5 अक्टूबर 2012), जिसमें वेब अनुप्रयोग की दो श्रेणियां हैं, अर्थात् सार्वजनिक उपयोग के लिए सार्वजनिक पेज और नगर परिषद् कार्यालय के आंतरिक उपयोग के लिए चार मॉड्यूल वाला 'एडमिन पेज'[51]। फर्म को कार्य का आवंटन ₹ 6,85,000 एवं लागू करों और वेबसाइट की मेजबानी, रखरखाव आदि के लिए ₹ 1,71,600 एवं लागू कर प्रति वर्ष प्रदान किया गया था।

इसके अतिरिक्त, कार्यपालक पदाधिकारी ने मौजूदा डी.सी.एम.एस. वेबसाइट में चार[52] नए मॉड्यूल/पृष्ठ जोड़ने का निर्णय लिया (अक्टूबर 2012 से मई 2013) जिसमें ₹ 14.72 लाख (कर सहित) की लागत शामिल थी और उसी फर्म को कार्यादेश जारी किए गए (दिसंबर 2012 से अगस्त 2013) जिसे डी.सी.एम.एस. को विकसित करने का कार्य प्रदान (अक्टूबर 2012) किया गया था। इस प्रकार, इन आठ मॉड्यूलों सहित डी.सी.एम.एस. वेबसाइट के विकास एवं इनके अनुरक्षण पर वार्षिक शुल्क हेतु कुल लागत राशि ₹ 36.82 लाख[53] तक पहुँच गई।

फर्म ने आठ मॉड्यूलों के साथ वेबसाइट विकसित की (दिसंबर 2012 से सितंबर 2013) और वेबसाइट संचालित करने के लिए नगर परिषद् के चार कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया। हाँलाकि, इन आठ मॉड्यूलों में से केवल एक मॉड्यूल एस.एम.एस. सुविधाओं सहित इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम को वर्ष 2014 में संचालित किया गया था और तब से यह मॉड्यूल अन्य सात मॉड्यूलों के साथ फरवरी 2019 तक अप्रयुक्त रहा था।

नगर परिषद् के कार्यपालक पदाधिकारी ने नगर परिषद् के लिए चार[54] फर्मों से 'सॉफ्ट्वेयर फाइल ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम' के विकास हेतु 'प्रस्ताव के लिए अनुरोध' को फिर से आमंत्रित किया (अगस्त 2013) और सशक्त स्थायी समिति के अनुमोदन के बिना कार्य को एक फर्म[55] को सौंपा (5 अक्टूबर 2013) जिसने कर सहित ₹ 9,85,000 एवं अनुरक्षण हेतु कर सहित ₹ 2,46,250 का न्यूनतम दर उद्धृत किया। फर्म ने सॉफ्ट्वेयर विकसित किया

---

[50] *आर.वी. सॉल्यूशंस (प्राइवेट) लिमिटेड, नोएडा–201301 (यू.पी.)*

[51] *(i) स्टाफ प्रबंधन प्रणाली, (ii) वेतन प्रबंधन प्रणाली, (iii) एम.आई.एस. प्रतिवेदन 10 प्रतिवेदन तक जेनरेशन; और (iv) सामग्री प्रबंधन और उपयोगकर्त्ता पहुंच संबंधी विशेषताएं*

[52] *(i) फंड मैनेजमेंट सॉफ्ट्वेयर (ii) एस.एम.एस. सुविधाओं सहित इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम (iii) स्वच्छता और मोबाइल टावर प्रबंधन और (iv) वार्ड पार्षद/वार्ड काउंसलर से संबंधित कुछ नए पृष्ठों का विकास/जोड़ना*

[53] *कर सहित आठ मॉड्यूल की कुल लागत–₹ 22.41 लाख और कर सहित अनुरक्षण शुल्क–₹ 14.41 लाख*

[54] *(i) एजाइल टेक सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड, वसुंधरा, गाजियाबाद (यू.पी.) (ii) मंत्र आई.टी. सिस्टम्स प्रा. लिमिटेड, गुड़गांव (iii) जॉन इन्फो टेक प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली, और (iv) एडेप्टिव बिजनेस अफेयर्स प्रा. लिमिटेड, अलीगंज*

[55] *एजाइल टेक सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड, गाजियाबाद (यू.पी.)*

(जनवरी 2014) लेकिन इसे भी संचालित नहीं किया जा सका और इसके अधिष्ठापन के बाद से यह निष्क्रिय रहा।

नगर परिषद् ने बारहवीं वित्त आयोग, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और नगर परिषद् के राजस्व के अपने स्रोत से उपलब्ध निधि से आठ मॉड्यूल और एक सॉफ्ट्वेयर के साथ वेबसाइट विकसित करने के उपरोक्त कार्यों (वार्षिक अनुरक्षण शुल्क सहित) पर ₹ 50.66 लाख[56] का कुल व्यय (जुलाई 2013–नवंबर 2015) किया।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि बोर्ड ने आई.टी. शीर्ष के तहत उपलब्ध निधियों के उपयोग को मंजूरी दी थी और इस उद्देश्य के लिए केवल ₹ 5.29 लाख उपलब्ध[57] थे लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी ने बारहवीं वित्त आयोग अनुदान के ₹ 2.69 लाख का आई.टी. शीर्ष के लिए अनुमत्य सीमा से अधिक उपयोग किया जबकि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के ₹ 25.37 लाख के अनुदान का, जो बुनियादी सेवाएं[58] प्रदान करने के लिए निर्धारित किया गया था, विचलन किया गया और सशक्त स्थायी समिति के अनुमोदन के बिना नगर परिषद् के राजस्व के अपने स्रोत का उपयोग किया गया और मामला नगर परिषद् बोर्ड के समक्ष कभी नहीं रखा गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया (अक्टूबर 2017) कि वर्ष 2014 के दौरान वेबसाइट में जोड़े गए आठ मॉड्यूलों में से केवल एक मॉड्यूल (एस.एम.एस. सुविधा सहित इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम) का उपयोग किया गया और फाइल ट्रैकिंग और मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्ट्वेयर एवं अन्य मॉड्यूल का उपयोग कार्य योजना की कमी और प्रशिक्षित मानव बल की अनुपलब्धता के कारण नहीं किया जा सका (चार व्यक्तियों ने प्रशिक्षण लिया लेकिन वे वेबसाइट और सॉफ्ट्वेयर चलाने में सक्षम नहीं थे)। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा यह भी कहा गया कि विभाग द्वारा विकसित वेबसाइट का उपयोग नगर परिषद् द्वारा 2016 से किया जा रहा है।

कार्यपालक पदाधिकारी का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि नगर परिषद् के कार्यपालक पदाधिकारी ने बिना पर्याप्त कार्य योजना, आवश्यकता के निर्धारण एवं प्रशिक्षित मानव बल की उपलब्धता सुनिश्चित किये व्यय किया। इसके अतिरिक्त, फर्मों के चयन, वेबसाइट और सॉफ्ट्वेयर के विकास के लिए प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था तथा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से और राजस्व शीर्ष के अपने स्रोत से भुगतान सहित सभी निर्णय कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा लिए गए थे।

इसके अलावा, आठ मॉड्यूलों के विकास के लिए अनुबंध लागत ₹ 36.82 लाख थी, और इसलिए सीमित निविदा के बजाय विज्ञापित निविदा प्रक्रिया आमंत्रित की जानी थी। तथापि, अपने जवाब (मार्च 2020) में, विभाग ने कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उठाए गए कदमों को सही ठहराया लेकिन दिए गए औचित्य मान्य नहीं थे क्योंकि कार्यपालक पदाधिकारी ने क्रय के संबंध में संहितीय प्रावधानों का उल्लंघन किया और विभाग द्वारा प्रस्तुत तथ्य और आंकड़े भी नगर परिषद् के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा लेखापरीक्षा को बताये गये तथ्य तथा जो लेखापरीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों से प्रकट हुए थे, उनसे भिन्न[59] थे।

---

[56] *क्रय पर ₹ 33,48,328 (आर.वी. सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड –₹ 22,41,582 और एजाइल टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड –₹ 11,06,746) और ₹ 17,17,319 उनके वार्षिक रखरखाव पर (आर.वी. सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड – ₹ 14,40,633 और एजाइल टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड –₹ 2,76,686)*

[57] *12वीं वि.आ. के तहत आई.टी. की खरीद के लिए ही राशि प्राप्त हुई थी।*

[58] *सड़क निर्माण, जलापूर्ति, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट आदि का निर्माण।*

[59] *विभाग ने उत्तर दिया (मार्च 2020) कि अक्टूबर 2017 में आठ मॉड्यूल का पुनः परीक्षण किया गया और 2015–16 के दौरान मॉड्यूल/वेबसाइट कभी–कभी अप्रयुक्त रहे लेकिन कार्यपालक अधिकारी ने उत्तर दिया कि मॉड्यूल का परीक्षण फरवरी 2014 में किया गया था और वर्ष 2014 में केवल एक मॉड्यूल का उपयोग किया गया था जबकि शेष मॉड्यूल/वेबसाइटों का स्थापना से लेकर अब तक उपयोग नहीं किया गया।*

इस प्रकार, उचित योजना की कमी के कारण, नगर परिषद् के लिए विकसित मॉड्यूल और सॉफ्ट्वेयर वाली वेबसाइट पाँच वर्षों से अधिक समय तक अनुपयोगी रही और भविष्य में मॉड्यूल/सॉफ्ट्वेयर का उपयोग करने की कोई योजना भी नहीं थी और इसलिए वेबसाइटों के विकास पर ₹ 50.66 लाख का व्यय करने के बावजूद भी इच्छित उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

4.3 सोलर स्ट्रीट लाइटों का अनियमित क्रय

संहितीय प्रावधानों, विभाग के निर्देशों और नगर परिषद् द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइटों के क्रय के संबंध में आपूर्तिकर्त्ता के साथ किये गए एकरारनामा के शर्त का पालन नहीं करने के फलस्वरूप ₹ 4.38 करोड़ का अनियमित क्रय हुआ।

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 129 में प्रावधान है कि राज्य सरकार विकसित या विकसित की जाने वाली विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए किसी विशेष वर्ग के सामान की अधिप्राप्ति हेतु एक या अधिक संगठनों को राज्य क्रय संगठन के रूप में नियुक्त कर सकती है। तद्नुसार, बिहार सरकार ने मानक गुणवत्ता वाले सौर ऊर्जा उपकरणों की आपूर्ति और अधिष्ठापन में सभी जिलों में एकरूपता लाने के लिए बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (बेल्ट्रॉन) को राज्य क्रय संगठन के रूप में नामित किया (फरवरी 2007)। बाद में, बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (ब्रेडा) को बेलट्रॉन के स्थान पर राज्य क्रय संगठन के रूप में नामित किया गया (सितंबर 2012) एवं शहरी विकास एवं आवास विभाग (विभाग) ने राज्य क्रय संगठन द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइटों के क्रय के लिए अधिसूचित दर को प्रसारित किया। इसके अतिरिक्त, बिहार वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 131 एन में प्रावधान है कि उपकरण या मशीनरी का अनुरक्षण आपूर्त्तिकर्ता द्वारा उसकी वारंटी अवधि के दौरान या अनुबंध की शर्तों के अनुसार ऐसी अन्य विस्तारित अवधि के दौरान निःशुल्क किया जाएगा तथा मूल्य पर अनुरक्षण उसके बाद से ही प्रारम्भ किया जाना चाहिए।

नगर परिषद्, सासाराम के अभिलेखों की नमूना जाँच से ज्ञात हुआ कि नगर परिषद् ने एक फर्म[60] से ₹ 27,200 प्रति सोलर स्ट्रीट लाइट के मूल्य पर 1,610 सोलर स्ट्रीट लाइटों को क्रय किया (दिसंबर 2011 से फरवरी 2014 के दौरान) और अधिष्ठापित किया (जनवरी 2012 से फरवरी 2014 के दौरान) एवं जनवरी 2012 से फरवरी 2014 तक ₹ 4.38 करोड़[61] का कुल व्यय किया। नगर परिषद् ने सोलर स्ट्रीट लाइटों का क्रय बेलट्रॉन/ब्रेडा से नहीं किया, बल्कि जिला क्रय समिति (डी.पी.सी.), सासाराम द्वारा तय की गयी सोलर स्ट्रीट लाइट की दो से पाँच वर्ष पुरानी दर (सितंबर 2009) के आधार पर क्रय किया। इसके अतिरिक्त, निष्पादित अनुबंध के अनुसार, फर्म को सोलर स्ट्रीट लाइटों का इसके अधिष्ठापन की तिथि से दो वर्ष के लिए निःशुल्क अनुरक्षण करना था। हाँलाकि, सोलर पैनल और सोलर बैटरी की वारंटी अवधि क्रमशः पाँच वर्ष एवं तीन वर्ष थी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि उपरोक्त सोलर स्ट्रीट लाइट ₹ 27,200 प्रति इकाई की दर से क्रय की गई थी, जबकि राज्य क्रय संगठन द्वारा उक्त अवधि के दौरान सोलर स्ट्रीट लाइट की प्रति इकाई अधिसूचित दर ₹ 22,818 से ₹ 26,684 तक थी।

नगर परिषद् की सशक्त स्थायी समिति ने अपनी बैठक (सितंबर 2014) में सोलर स्ट्रीट लाइट के अनुरक्षण का कार्य आरंभ करने का फैसला किया क्योंकि अधिकांश सोलर स्ट्रीट लाइटों की वारंटी और अनुरक्षण की अवधि समाप्त हो रही थी। नगर परिषद् ने उपरोक्त क्रय किए गए सोलर स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए निविदा

[60] *मेसर्स राज इलेक्ट्रॉनिक्स, सासाराम, रोहतास*

[61] *1610 × ₹ 27200 = ₹ 4,37,92,000*

आमंत्रित की (दिसंबर 2014) और उसी फर्म[62] को काम सौंपा (30 जनवरी 2015), जिसने पूर्व में मरम्मत और अनुरक्षण के लिए सोलर स्ट्रीट लाइटों की आपूर्ति ₹ 16,175/– प्रति सोलर स्ट्रीट लाइट की दर से की थी। नगर परिषद् ने सोलर स्ट्रीट लाइट के विभिन्न घटकों की वारंटी अवधि की वैधता का आकलन किए बिना 1,485[63] सोलर स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए फर्म को कार्यादेश (फरवरी और जुलाई 2015) जारी किया। फर्म ने सभी 1,485 सोलर स्ट्रीट लाइटों एवं 71 सोलर पैनलों की बैटरियों को बदल दिया तथा बैटरी एवं सोलर प्लेटों के अनुरक्षण एवं प्रतिस्थापन के लिए ₹ 2.45 करोड़[64] का भुगतान किया गया (अप्रैल–अगस्त 2015)।

अभिलेखों की जाँच में आगे ज्ञात हुआ कि 1,485 बदली गई बैटरियों में से 1,240[65] एवं 71 बदली गई सोलर प्लेटों में से 47 वारंटी अवधि के अन्दर थीं और उन्हें फ़र्म के द्वारा मुफ्त में बदला जाना था। इसके अतिरिक्त, 361 सोलर स्ट्रीट लाइटों के अनुरक्षण पर भी भुगतान किया गया था, यद्यपि ये निःशुल्क अनुरक्षण अवधि में ही थे। परिणामस्वरूप, वारंटी/निःशुल्क अनुरक्षण अवधि के दौरान सोलर स्ट्रीट लाइटों के प्रतिस्थापन एवं अनुरक्षण लागत के लिए फर्म को ₹ 1.23 करोड़[66] का अनियमित भुगतान किया गया (अप्रैल 2015 से अगस्त 2015)।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किए जाने पर, नगर परिषद् के कार्यपालक पदाधिकारी ने तथ्यों को स्वीकार किया और जवाब दिया (जून 2017) कि नगर परिषद् बोर्ड ने डी.पी.सी. द्वारा निर्धारित दर पर ब्रेडा द्वारा अनुमोदित अक्षय ऊर्जा दुकान से सोलर स्ट्रीट लाइट क्रय करने का प्रस्ताव पारित किया था। इसलिए कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गई। यह भी कहा गया कि नगर परिषद् में कुशल कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण सोलर स्ट्रीट लाइट की वारंटी अवधि की निगरानी से संबंधित पंजी या अभिलेख का संधारण नहीं किया जा सका है। उन्होंने आगे बताया कि नगर परिषद् ने राज्य क्रय संगठन (बेलट्रॉन/ब्रेडा) या विभाग से सोलर स्ट्रीट लाइट की दर प्राप्त नहीं किया था।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि सोलर स्ट्रीट लाइटों की अधिप्राप्ति एवं अधिष्ठापन हेतु एकरारनामा कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था जिसमें वारंटी एवं निःशुल्क अनुरक्षण अवधि के प्रावधानों का उल्लेख किया गया था। फर्म को सोलर पैनल और सोलर बैटरियों को बदलने के लिए कार्यादेश जारी करने से पहले, कार्यपालक पदाधिकारी को क्रय किए गए सोलर स्ट्रीट लाइटों की वारंटी/निःशुल्क अनुरक्षण अवधि की निगरानी के लिए कंट्रोल पंजी का संधारण सुनिश्चित करना था। आगे, नगर परिषद् राज्य क्रय संगठन द्वारा निर्धारित एवं फरवरी 2009 और अक्टूबर 2013 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों को सूचित दर पर सोलर स्ट्रीट लाइटों का क्रय करने में विफल रहा। पुनः, अक्षय ऊर्जा दुकान, सासाराम जहां से सोलर स्ट्रीट लाइटों का क्रय किया गया था, राज्य क्रय संगठन के तहत पंजीकृत नहीं थी।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किए जाने पर (मार्च 2019), विभाग के सहायक निदेशक–सह–संयुक्त सचिव ने जवाब दिया (मार्च 2020) कि 2009 में तय की गई दर अभी भी लागू थी और बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 131 एल के तहत 2011 में नई दरें प्राप्त करने के लिए दूसरा प्रस्ताव लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हाँलाकि, विभाग ने वारंटी अवधि के अन्दर बैटरी और सोलर पैनल बदलने से संबंधित मुद्दे पर कोई

[62] *मेसर्स राज इलेक्ट्रॉनिक्स, सासाराम, रोहतास – मरम्मत और अनुरक्षण प्रत्येक के लिए ₹ 16,175 और नए अधिष्ठापन के लिए ₹ 27,200*

[63] *13 फरवरी 2015 को– 1,250 इकाई एवं 13 जुलाई 2015 को– 235 इकाई = 1,485 इकाई*

[64] *1,485 इकाई x ₹ 16,175 + 71 इकाई x ₹ 7,000 = ₹ 2,45,16,875*

[65] *1,485–218–27= 1,240 बैटरी*

[66] *1240 x 7,000+ 47 x 7,000 + 361 x 9,175 =1,23,21,175 अर्थात ₹ 1.23 करोड़*

जवाब नहीं दिया। विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उपरोक्त संदर्भित नियम एकल निविदा पूछताछ के माध्यम से सामग्रियों की खरीद से संबंधित था और दर (₹ 27200 प्रति इकाई सोलर स्ट्रीट लाइट) जिस पर नगर परिषद् द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइटों का क्रय नवंबर 2011 से फरवरी 2014 के दौरान की किया गया था, वह राज्य क्रय संगठन द्वारा निर्धारित दर[67] से काफी अधिक था एवं जिला पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) ने स्वयं राज्य क्रय संगठन के अनुसार जिले के विभिन्न प्रखंडों के लिए सोलर स्ट्रीट लाइटों का क्रय किया (2011)।

इस प्रकार, नगर परिषद् के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा संगत वित्तीय नियमों और क्रय प्रक्रिया का पालन करने में विफलता के कारण, क्रय पंजी का संधारण नहीं होने और राज्य क्रय संगठन से सोलर लाइट क्रय नहीं किए जाने के फलस्वरूप ₹ 1.23 करोड़ के अनियमित भुगतान के अतिरिक्त ₹ 4.38 करोड़ के सोलर स्ट्रीट लाइटों का अनियमित क्रय हुआ।

4.4 कूड़ेदानों के क्रय पर परिहार्य व्यय

नगर निगम, मुजफ्फरपुर द्वारा कूड़ेदानों के क्रय में वित्तीय नियमों का पालन न करने के कारण ₹ 74.25 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 131 आर (*xiv*) में यह प्रावधान है कि एक अनुबंध आमतौर पर सबसे कम मूल्यांकन वाले बोलीदाता को दिया जाना चाहिए जिसकी बोली उत्तरदायी पायी गई है और जो संबंधित बोली दस्तावेजों में शामिल नियमों और शर्तों के अनुसार संतोषजनक ढंग से अनुबंध करने के लिए पात्र और योग्य हो। आगे, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 126 में प्रावधानित है कि सार्वजनिक क्रय से संबंधित मामलों में दक्षता, मितव्ययिता और पारदर्शिता लाने के लिए सार्वजनिक हित में सामग्री के क्रय के लिए प्रत्येक प्राधिकारी जिसे वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजित की गई है, जिम्मेवार एवं जवाबदेह होंगे।

नगर निगम, मुजफ्फरपुर के अभिलेखों की जाँच (अगस्त 2018) से स्पष्ट हुआ कि नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति ने अपनी विशेष बैठक (14 दिसंबर 2016) में 10 लीटर क्षमता के 50,000 हरे रंग के और 50,000 लाल रंग के प्लास्टिक कूड़ेदान के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तद्नुसार, दैनिक समाचार पत्र में कूड़ेदान के विस्तृत विशिष्टियों[68] के साथ 10 लीटर क्षमता के 50,000 कूड़ेदानों के क्रय के लिए निविदा का विज्ञापन प्रकाशित (3 मार्च 2017) किया गया था। इसके अलावा, तकनीकी बोली में सात बोलीदाताओं ने भाग लिया और उनमें से छः तकनीकी बोली के लिए योग्य पाए गए। तुलनात्मक विवरणी के अनुसार, मेसर्स क्वालिटी एनवायरो इंजीनियर्स प्रा. लिमिटेड (फर्म) द्वारा दिया गया दर ₹ 111 प्रति इकाई न्यूनतम था, लेकिन बिना किसी कारण को दर्ज किए, मेमर्स नीलकमल द्वारा कूड़ेदान के दिए गए दर ₹ 210 प्रति इकाई की दर को अनुमोदित किया गया था। लेखापरीक्षा में स्पष्ट हुआ कि 50,000 कूड़ेदानों के क्रय के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी लेकिन चयनित फर्म को दो चरणो[69] में 75,000 कूड़ेदानों की आपूर्ति के लिए कार्यादेश जारी किया गया था (20 मार्च 2017 और 4 अक्टूबर 2017)। फर्म ने 75,000 कूड़ेदानों की आपूर्ति की (अप्रैल 2017 से नवंबर 2017) और फर्म को कुल ₹ 1.58 करोड़

---

[67] *नवंबर 2011 से दिसंबर 2011 तक ₹ 26,684, जनवरी 2012 से सितंबर 2013 तक ₹ 22,355 एवं सितंबर 2013 से फरवरी 2014 तक ₹ 22,818 रुपये।*

[68] *प्लास्टिक–प्रकार आई.एस.ओ. प्रमाणित, सामग्री–एच.डी.पी.ई., प्रभाव कोपॉलिमर के साथ कोपॉलिमराइज्ड*

[69] *आदेश पत्र संख्या 195 दिनांक 2 मार्च 2017 को 25,000 कूड़ेदानों की आपूर्ति के लिए और आदेश पत्र संख्या 660 दिनांक 04 अक्टूबर 2017 को 50,000 कूड़ेदानों की आपूर्ति के लिए*

का भुगतान (मई 2017 से दिसंबर 2017) किया गया। यद्यपि कूड़ेदान की विशिष्टियाँ नगर निगम की आवश्यकता के अनुसार थीं, न्यूनतम दर की बोली लगाने वाले फर्म पर विचार न करने के नगर आयुक्त के निर्णय के कारण 75,000 कूड़ेदानों के क्रय पर ₹ 74.25 लाख[70] का परिहार्य व्यय हुआ। साथ ही उसी फर्म को बिना निविदा आमंत्रित किये 25,000 कूड़ेदानों की आपूर्ति हेतु कार्यादेश जारी करना अनियमित था।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (अगस्त 2018) नगर आयुक्त ने उत्तर दिया (अगस्त 2018) कि मेसर्स नीलकमल, एक ब्रांडेड कंपनी, की दर को तत्कालीन नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया गया था। नगर आयुक्त का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कूड़ेदान का क्रय मेसर्स क्वालिटी एनवायरो इंजीनियर्स प्रा. लिमिटेड से नहीं की गई जिसने सबसे कम दर की बोली लगाया था और बोली दस्तावेजों में शामिल सभी नियमों और शर्तों को पूरा किया था। इस प्रकार, नगर आयुक्त द्वारा वित्तीय नियमों का पालन नहीं करने के कारण नगर निगम द्वारा ₹ 74.25 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

मामले की सूचना विभाग को दी गई (25 मार्च 2021)। जवाब अप्राप्त था (मई 2022)।

4.5 परिहार्य भुगतान

नगर निगम देय तिथियों तक बिजली विपत्रों का भुगतान करने में विफल रहा जिसके फलस्वरुप ₹ 3.97 करोड़ के विलंबित भुगतान अधिभार का परिहार्य भुगतान हुआ।

विद्युत् विनियामक आयोग के प्रशुल्क अधिनियम में प्रावधान है कि यदि कोई उपभोक्ता विपत्र में निर्दिष्ट देय तिथि के बाद अनुग्रह अवधि के 10 दिनों के अन्दर ऊर्जा विपत्रों का पूरा या उसके कुछ भाग का भुगतान नहीं करता है तो प्रति माह डेढ़ प्रतिशत का विलंबित भुगतान अधिभार (डी.पी.एस.) विपत्र का बकाया मूल राशि पर भुगतान की नियत तिथि से तब तक लगाया जाएगा जब तक कि पूरा भुगतान नहीं कर दिया जाता। नगर विकास एवं आवास विभाग (विभाग) ने मुख्य सचिव के निर्देश को सभी शहरी स्थानीय निकायों (श.स्था.नि.) को निर्गत (जुलाई 2013) किया जिसमें सभी विभागों को बिना किसी विलंब के विद्युत् विपत्रों का भुगतान करने का निर्देश था। विभाग ने आगे निर्देश दिया कि कार्यालय प्रमुखों के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, डी.पी.एस. के भुगतान से बचने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष धनराशि की मांग अग्रिम में करनी चाहिए।

पटना नगर निगम के एक उपभोक्ता खाते[71] से संबंधित बिजली विपत्रों के भुगतान से संबंधित अभिलेखों की जाँच (अप्रैल 2017 से फरवरी 2018) से पता चला कि पटना नगर निगम ने मार्च 2016 के बिजली विपत्रों[72] का देय तिथियों तक पूरा भुगतान निधि उपलब्ध[73] रहने के बावजूद नहीं किया था। परिणामस्वरुप, पटना नगर निगम ने अप्रैल 2016 से मार्च 2017 की अवधि के लिए बकाया बिजली विपत्रों के रुप में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूसन कंपनी लिमिटेड को ₹ 71.20 लाख का डी.पी.एस. का भुगतान (मार्च 2017) किया। आगे, पटना नगर निगम ने अप्रैल 2017 से जनवरी 2021 की अवधि के लिए ₹ 11.07 करोड़ (डी.पी.एस. के रुप में देय ₹ 4 करोड़ सहित) के बिजली विपत्रों का भुगतान नहीं किया था। अतः पटना नगर निगम ने जनवरी 2021 तक डी.पी.एस. के रुप में ₹ 4 करोड़ की देनदारी का वहन किया था।

---

[70] *99 X 75,000 = 74.25 लाख (210–111 = 99)*

[71] *उपभोक्ता खाता सं.- 010205053350*

[72] *₹ 5.98 करोड़*

[73] *मार्च 2016 में चौदहवीं वित्त आयोग मद के तहत ₹ 3.02 करोड़ एवं 5वीं राज्य वित्त आयोग मद के तहत ₹ 30.95 करोड़।*

इस विषय को इंगित किए जाने पर, लेखा पदाधिकारी, पटना नगर निगम ने स्पष्ट किया (अप्रैल 2017) कि कार्यालय संबंधी प्रक्रिया को पूरा करने में विलंब होने के कारण बिजली विपत्रों के भुगतान में देरी हुई जबकि नगर वित्त एवं लेखा नियंत्रक, पटना नगर निगम ने स्पष्ट किया (सितम्बर 2018) कि बिजली विपत्र ऊर्जा विभाग से मासिक आधार पर प्राप्त नहीं हो रहे थे, बल्कि पूरे वर्ष के लिए एक बार प्राप्त हो रहे थे, जिसके कारण भारी डी.पी. एस. का भुगतान करना पड़ा। उपरोक्त दोनों जवाब परस्पर विरोधी थे। जबकि, महाप्रबंधक, पटना विद्युत् आपूर्ति इकाई (पेसू) ने कहा (दिसम्बर 2018) कि बिजली विपत्र ऊर्जा विभाग से मासिक आधार पर पटना नगर निगम को प्रस्तुत किए गए थे और अगर भुगतान पूर्ण रुप से किया गया होता तो अगले बिल में कोई डी.पी.एस. नहीं लगाया जाता चाहे बिल मासिक आधार पर प्रस्तुत किया जाता या वर्ष भर के लिए एक बार प्रस्तुत होता। हॉलाकि, डी.पी.एस. बकाया मूल राशि पर पूरी अवधि के लिए प्रभार्य है।

इसी प्रकार, कटिहार नगर निगम के बिजली विपत्रों के भुगतान से संबंधित अभिलेखों की जाँच (जून 2017 एवं सितम्बर 2018 और जनवरी 2021 में अद्यतन) से पता चला कि मई 2015 से फरवरी 2019 के बिजली विपत्रों का पूरा भुगतान नहीं किया गया था जिसके फलस्वरुप बकाया डी.पी.एस. के रुप में ₹ 3.26 करोड़ का संचयन हुआ और इसका भुगतान कटिहार नगर निगम के द्वारा (मई 2015 से मार्च 2019) किया गया था।

नगर आयुक्त, (कटिहार नगर निगम) ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए कहा (जून 2017) कि भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने आगे (सितम्बर 2018) बिजली विपत्रों के भुगतान मे विलंब के लिए कटिहार नगर निगम के पास अपर्याप्त निधि, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूसन कंपनी लिमिटेड द्वारा दोषपूर्ण बिलों का निर्माण और नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूसन कंपनी लिमिटेड से प्राप्त होल्डिंग टैक्स के साथ बिजली बिलों के समायोजन प्रक्रिया में देरी को जिम्मेवार ठहराया। हाल ही में कटिहार नगर निगम ने कहा (जनवरी 2021) कि अब बिजली विपत्र का भुगतान समय पर विपत्र के अनुसार किया जा रहा है। नगर आयुक्त, कटिहार नगर निगम का तर्क स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग ने पहले ही निर्देश दिया था कि राशि की कमी की स्थिति में राशि की मांग विभाग से अग्रिम में ही की जानी थी, जो कि कटिहार नगर निगम द्वारा नहीं की गयी थी। आगे, बिहार विद्युत् आपूर्ति संहिता, 2007 में प्रावधानित था कि विपत्र राशि पर किसी प्रकार की आपत्ति होने की स्थिति में दावा की गयी राशि के बराबर राशि जमा की जानी थी। उपभोक्ता प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष अपना शिकायत दर्ज करा सकता था। तथापि, डी.पी.एस. का भुगतान मार्च 2019 के पश्चात भी जारी था।

उक्त विषय के प्रतिवेदित (मार्च 2019) होने पर विभाग ने उत्तर दिया (मार्च 2020) कि संबंधित श.स्था.नि. को बिजली विपत्र समय पर नहीं दिए गये और बिजली वितरण कंपनियों के राजस्व पदाधिकारी कभी भी बिजली विपत्रों के भुगतान के लिए श.स्था.नि. के कार्यपालक पदाधिकारी के साथ विषय को नहीं उठाया। आगे, यह भी कहा गया कि आम लोगों के जीवन स्तर के बेहतरी के लिए उपयोग किए जा सकने वाले धन के अवांछित प्रवाह को रोकने के लिए, श.स्था.नि. के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध भी जिम्मेवारी तय की जा सकती है।

अतः तत्परता की कमी, कार्यालय संबंधी प्रक्रिया में विलंब एवं विभाग से राशि की मांग करने में विफलता के कारण उक्त नगर निगमों द्वारा विपत्रों का भुगतान समय पर नहीं किया गया और बिजली वितरण कंपनियों को ₹ 3.97 करोड़[74] का परिहार्य भुगतान डी.पी. एस. के रुप में किया गया ।

[74] *₹ 0.71 करोड़ + ₹ 3.26 करोड़ = ₹ 3.97 करोड़*

4.6 अपात्र लाभार्थियों को आवासीय इकाईयों का आवंटन

दो नगरपालिकाओं द्वारा एकीकृत आवास एवं मलीन बस्ती विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन के संबंध में दिशा–निर्देशों के प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण 98 अपात्र लाभार्थियों को ₹2.26 करोड़ की निर्माण लागत वाली आवासीय इकाईयों का आवंटन हुआ।

एकीकृत आवास एवं मलीन बस्ती विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) का मूल उद्देश्य चिन्हित शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत झुग्गी–झोपड़ियों के निवासियों को बुनियादी ढ़ाँचागत सुविधाओं के साथ पर्याप्त आश्रय प्रदान करके एक स्वस्थ और सक्षम शहरी वातावरण के साथ समग्र स्लम विकास के लिए प्रयास करना था। इस कार्यक्रम के तहत, गरीबों में सबसे गरीब जो अपने दम पर घर बनाने की स्थिति में नहीं थे, उन्हें आवश्यक बुनियादी ढ़ाँचे के साथ आवासीय इकाईयां (डी.यू) प्रदान की जानी थीं।

बिहार में 28 शहरी स्थानीय निकायों (श.स्था.नि.) के लिए आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा 32 आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी थी। इन 32 परियोजनाओं मे से 14 परियोजनाओं को बिहार सरकार द्वारा हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एच. पी.एल), भारत सरकार का उपक्रम द्वारा क्रियान्वित किया गया था, जबकि 16 परियोजनाओं को श.स्था.नि. द्वारा क्रियान्वित किया गया था व दो परियोजनाओं को रद्द किया गया था। एक डी.यू के निर्माण की अनुमानित लागत ₹ 0.80 लाख और ₹ 2.53 लाख के बीच थी।

नगर निगम, आरा के अभिलेखों की जाँच (अगस्त 2018) से ज्ञात हुआ कि एच.पी.एल को नगर निगम क्षेत्र में डी.यू. के निर्माण के लिए कार्यकारी एजेन्सी बनाया गया था। कार्यक्रम का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) के अनुसार नगर निगम को 17 स्लम समूहों में 754 लाभार्थियों की पहचान की गयी थी। डी.पी.आर. से ज्ञात हुआ कि 754 लाभार्थियो में से 64 लाभार्थी सरकारी कर्मचारी थे जिनका वेतन ₹4000 से ₹ 10000 प्रति माह था और उपरोक्त 64 लाभार्थियों मे से 14 लाभार्थी नगर निगम, आरा के कर्मचारी थे। फरवरी 2021 तक, कार्यक्रम के तहत 64 लाभार्थियों मे से 46 लाभार्थियों को डी.यू. सौंपे (अप्रैल 2015 से नवंबर 2019) गये थे। डी.यू. का निर्माण सबसे गरीब/झुग्गी बस्तियों में रहने वालों के लिए किया जाना था और इसलिए सरकारी कर्मचारी इस कार्यक्रम के तहत पात्र नहीं थे। इस प्रकार 46 अपात्र लाभार्थियों को आवंटित आवासीय इकाईयों के निर्माण पर कुल ₹ 1.10 करोड[75] व्यय किया गया।

नगर आयुक्त, नगर निगम, आरा ने लेखापरीक्षा तथ्य को स्वीकार किया (फरवरी 2021) व बताया कि लाभार्थियों का चयन एच.पी.एल. के द्वारा किया गया था और उन्होंने कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों के रुप मे सरकारी कर्मचारियों के चयन संबंधी तथ्य को छुपाया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एच.पी.एल. द्वारा तैयार की गयी चयनित लाभार्थियों की सूची को नगर निगम बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसलिए ऐसी गलतियों के लिए नगर निगम जिम्मेदार था।

नगर परिषद्, मोकामा में 52 वैसे लाभार्थियों जिनके पास पूर्व से ही पक्का मकान था, को डी.यू. के निर्माण के लिए ₹ 2.25 लाख की दर से कुल ₹ 1.16 करोड[76] का भुगतान किया गया था। वैसे लाभार्थी जिनके पास पक्का घर था, इस कार्यक्रम के तहत पात्र नहीं थे। इस प्रकार आवासीय इकाईयों के निर्माण हेतु अपात्र लाभार्थियों को ₹ 1.16 करोड़ का भुगतान किया गया।

---

[75] *46 X 2,39,705= ₹ 1,10,26,430*

[76] *50 X 2,25000+ 2 X 1,80,000 = 1,16,10,000*

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर कार्यपालक पदाधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए जवाब दिया (फरवरी 2021) कि लाभार्थियों का चयन परियोजना प्रबंधन इकाई (पी.एम.यू.)[77] द्वारा किया गया था और स्वीकार किया कि इस कार्यक्रम का लाभ केवल 52 वैसे लाभार्थियों को दिया गया जिनके पास पक्का घर था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि चयनित लाभार्थियों की सूची नगर निगम बोर्ड द्वारा अनुमोदित (मार्च 2015) थी और पी.यू. इसके पर्यवेक्षण मे कार्य कर रहा था। इसलिए अपात्र लाभार्थियों को आवासीय इकाईयों के आवंटन के लिए नगर परिषद् जिम्मेवार था।

लेखापरीक्षा अवलोकन से सहमत होते हुए विभाग ने अपने विचार व्यक्त (फरवरी 2018) किया कि कार्यक्रम का लाभ उन परिवारों को प्रदान किया गया जिनके सदस्यों की संख्या अधिक थी।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सरकारी कर्मचारी तथा वैसे व्यक्ति जिनके पास पक्के मकान थे, को ₹ 2.26 करोड़[78] के निर्माण की लागत वाली आवासीय इकाईयों का आवंटन कार्यक्रम के दिशानिर्देश के विरुद्ध था व इस कार्यक्रम का निर्धनों में निर्धनतम को आच्छादित करने का उद्देश्य विफल रहा।

4.7 नगरपालिका राजस्व का दुर्विनियोजन

नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा संग्रहित राजस्व को नगरपालिका निधि में जमा न करने और आंतरिक नियंत्रण की विफलता के फलस्वरुप ₹ 30.72 लाख का दुर्विनियोजन हुआ।

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम 22(1) में प्रावधान है कि प्राप्त सभी धन को कोषागार या राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में उसी दिन या कम से कम अगले कार्य दिवस पर दोपहर से पहले नगरपालिका के खाते में जमा किया जाएगा। आगे, बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली के नियम 29(5) में प्रावधान है कि कार्यपालक पदाधिकारी सप्ताह में कम से कम एक बार संग्रह के ज्ञापन की जाँच करेगा ताकि खुद को संतुष्ट कर सके कि प्राप्त सभी धन वास्तव में बिना किसी विलंब के कोषागार/बैंकों को भेज दिया गया है। लेखापाल का यह कर्तव्य होगा कि वह मासिक आधार पर बैंक विवरणी प्राप्त करे और पुष्टि करे कि प्रेषण पूरी तरह से बैंक खाते में जमा हो गया है। इसके अतिरिक्त, बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली के नियम 33 में प्रावधान है कि यदि नगरपालिका धन के दुर्विनियोजन का पता चलता है/संदिग्ध है, तो कार्यपालक पदाधिकारी 24 घंटे के अन्दर इस तरह के दुर्विनियोजन के बारे में सशक्त स्थायी समिति (स.स्था.स.) को सूचित करेगा और स.स्था.स. की स्वीकृति से एक एफ.आई.आर. दर्ज करेगा।

चार[79] शहरी स्थानीय निकायों (श.स्था.नि.) की वर्ष 2014–15 से 2017–18 की अवधि से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा[80] (अगस्त 2017 से सितंबर 2017 और फरवरी 2021 में अद्यतन) में पाया गया कि श.स्था.नि के संग्रहण कर्मी/रोकड़पाल ने संपत्ति कर और प्राप्तियों के अन्य विविध शीर्षों के अंतर्गत फरवरी 2013 से अगस्त 2017 के दौरान ₹ 1.91 करोड़ की नगरपालिका राजस्व राशि का संग्रह किया, जिसमें से ₹ 1.60 करोड़ नगरपालिका निधि में जमा (अप्रैल 2013 से फरवरी 2021) किया गया और ₹ 30.72 लाख फरवरी 2021 तक जमा किए जाने

---

[77] *नगरपालिका के अधीन निजी कंस्लटेन्टों की एक कार्यरत इकाई*

[78] *₹ 1.10 करोड़ – नगर निगम, आरा एवं ₹ 1.16 करोड़–नगर परिषद्, मोकामा*

[79] *नगर पंचायत– बेलसंड, झाझा एवं कोईलवर तथा नगर परिषद् – जमुई*

[80] *होल्डिंग रसीद बुक, विविध रसीद बुक, दैनिक संग्रहण पंजी, रोकड़पाल/लेखापाल रोकड़बही, बैंक खातें इत्यादि।*

शेष थे और राशि नगरपालिका निधि से बाहर थी एवं कर्मचारियों के पास तीन से सात वर्षों से अधिक समय से पड़ी हुई थी ***(परिशिष्ट–4.2)***। यह भी देखा गया कि ₹ 30.72 लाख में से, नगर पंचायत, कोइलवर से सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी द्वारा ₹ 8.34 लाख अपने पास रखा गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जाँच नहीं[81] किया गया कि प्राप्त सभी राशियाँ वास्तव में नगर निधि में जमा की गई हैं। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर श.स्था.नि. के कार्यपालक पदाधिकारियों ने लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार किया और कहा (फरवरी 2021) कि ₹ 30.72 लाख की शेष राशि संबंधित अधिकारियों से वसूल की जाएगी।

कार्यपालक पदाधिकारियों का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि संग्रह किया गया कुल नगरपालिका राजस्व बिना विलम्ब के नगरपालिका कोष में जमा किया जाना था तथा कार्यपालक अधिकारियों को इसका सामयिक प्रेषण सुनिश्चित करना था।

इस प्रकार, श.स्था.नि. के संग्रह कर्मियों द्वारा कुल ₹ 30.72 लाख की राशि का दुर्विनियोजन किया गया और ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि श.स्था.नि. के लेखापाल और कार्यपालक पदाधिकारी श.स्था.नि. के लेखाओं की आवश्यक जाँच करने में विफल रहे। इसके अलावा, कार्यपालक पदाधिकारी, कर्मचारियों द्वारा रखी संग्रहित राशि की वसूली के लिए आवश्यक उपाय करने में विफल रहे और साथ ही दोषी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं की एवं बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली में निहित प्रावधानों का उल्लंघन किया।

मामले की सूचना विभाग को दी गयी (25 मार्च 2021)। विभाग का उत्तर अप्राप्त था (मई 2022)।

4.8 मशीनों के क्रय पर अनुत्पादक व्यय

स्वीपिंग मशीनों के क्रय में नगर निगम, बेगूसराय द्वारा वित्तीय नियमों का पालन नहीं करने एवं असंगत आयोजना के परिणामस्वरूप ₹ 83 लाख की मशीनें पाँच वर्षों से अधिक समय से अनुपयोगी रही थीं।

बिहार वित्तीय नियमावली (बी.एफ.आर.), 2005 के नियम 126 के अनुसार, लोक हित में सामग्री के क्रय की वित्तीय शक्तियों के साथ प्रत्यायोजित प्रत्येक प्राधिकारी को सामग्री गुणवत्ता, प्रकार आदि के संदर्भ में इसकी विशिष्टियाँ सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी और जवाबदेही होगी और क्रय करने वाले संगठनों की विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखते हुए क्रय की जाने वाली सामग्री की मात्रा भी स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। इसके अलावा, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि आवश्यकता से अधिक मात्रा में क्रय करने से बचें ताकि इन्वेंट्री वहन करने की लागत से बचा जा सके।

नगर निगम, बेगूसराय के वर्ष 2015–16 से संबंधित अभिलेखों की जाँच (जनवरी 2017 और फरवरी 2021 में अद्यतन) से पता चला कि सशक्त स्थायी समिति (सं.स्था.स.) द्वारा लिए गए निर्णय (नवंबर 2014) के आधार पर, नगर निगम ने अगस्त 2015 में दो मिनी स्वीपिंग मशीनों के क्रय के लिए निविदा आमंत्रित की और सबसे कम बोली लगाने वाले मे0 एस.जी. कंस्ट्रक्शन (फर्म) को आपूर्ति आदेश दिया गया (सितंबर 2015)। फर्म ने दिसंबर 2015 में नगर निगम को दो स्वीपिंग मशीनों की आपूर्ति की थी। चालान राशि ₹ 83 लाख के विरूद्ध, फर्म को करों और सुरक्षित जमा की वैधानिक कटौती के बाद ₹ 69.47 लाख का भुगतान किया गया ***(परिशिष्ट–4.3)***। लेकिन, स्वीपिंग मशीनों का

[81] *सभी सहायक प्रपत्रों और पंजियों सहित संग्रह –ज्ञापन, संग्रह पंजी तथा रोकड़बही*

उपयोग नहीं किया गया और इसकी आपूर्ति के बाद से 17 फरवरी 2021 तक बेकार पड़ी रही।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर (जनवरी 2017) नगर आयुक्त (नगर निगम) ने उत्तर दिया कि शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए, भविष्य में उपयोग के लिए स्वीपिंग मशीनों का क्रय किया गया था। वर्ष 2016 में कुछ दिनों तक दोनों मशीनों का उपयोग किया गया और उसके बाद इनका उपयोग नहीं किया जा रहा था। वाहन प्रभारी ने लेखापरीक्षा द्वारा मामले को इंगित किये जाने के बाद नगर निगम को सूचित किया (फरवरी 2021) कि मशीनें खराब थीं और मरम्मत की आवश्यकता थी। नगर निगम ने कहा कि मशीनों की मरम्मत के लिए वाहन प्रभारी के प्रतिवेदन पर कार्रवाई की जा रही है।

नगर निगम का उत्तर लेखापरीक्षा में सत्यापन योग्य नहीं था क्योंकि दोनों मशीनों की लॉग बुक रिक्त थी और 2016 में कुछ अवधि के लिए इन मशीनों के उपयोग से संबंधित लॉग बुक में कोई प्रविष्टि नहीं थी और साथ ही नगर निगम द्वारा मशीनों को आगे उपयोग में लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि दोनों मशीनें पिछले पाँच वर्षों से बेकार पड़ी थीं। नगर निगम उक्त मशीनों की तत्काल आवश्यकता का आकलन किए बिना क्रय किया। इस प्रकार, आवश्यकता का निर्धारण न करने और मशीनों को प्रयोग में लाने में विफलता के परिणामस्वरूप स्वीपिंग मशीन के क्रय पर ₹ 69.47 लाख का अनुत्पादक व्यय हुआ।

मामले की सूचना विभाग को दी गयी (25 मार्च 2021)। विभाग का उत्तर अप्राप्त था (मई 2022)।

पटना
दिनांकः 02 नवम्बर 2022

(रामावतार शर्मा)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
बिहार, पटना